छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, 2009 (माघ-21,1930)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार-

(1) अधिसूचना क्रमांक 22/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2008,दिनांक 9 सितम्बर,2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम संशोधन),2008,

(2) अधिसूचना क्रमांक 26/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2007,दिनांक 25 जून,2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम,2008,

(3) अधिसूचना क्रमांक 25/सी.एस.ई.आर.सी./2008,दिनांक 14 जुलाई,2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की प्राप्ति)विनियम,2008 तथा

(4) अधिसूचना क्रमांक 28/सी.एस.ई.आर.सी./2008, दिनांक 22 मई, 2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा-स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबन्धन एवं शर्ते तथा संबंधित विषय-वस्तु) विनियम, 2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य, जिला-रायगढ़ में कोयले का अवैध उत्खनन एवं तस्करी की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, संतोष बाफना, सदस्य, बस्तर वन वृत्त में साल वृक्षों की अवैध कटाई के लिये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 9 - 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2009-2010 की अवधि के लिये अपने में से क्रमश: 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2009-2010 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन- तीन सदस्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

रायपुर

दिनांक 9 फरवरी, 2009

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा